फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

26-07-2013 आवेदक **शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक,** बिहटा, थाना–बिहटा, जिला–पटना से प्राप्त एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–379/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–26.07.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में शाखा प्रबंधक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक हैं। बैंक में काफी पैसों का लेन–देन होता है तथा ग्राहकों की काफी भीड़ रहती है। वर्तमान में बैंक में बढ़ रही लूटपाट की घटनाओं को देखते हुए शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–33/गो0, दिनांक–08.01.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर द्वारा थानाध्यक्ष, बिहटा के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, बिहटा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सिमरी, थाना–बिहटा हैं। बैंक में काफी पैसों का लेन–देन होता है। तदोपरान्त बैंक एवं जान–माल की सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि अपने बैंक की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, बिहटा, थाना–बिहटा, जिला–पटना को उनके द्वारा अपने बैंक की सुरक्षा हेतु

सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, बिहटा, थाना–बिहटा, जिला–पटना को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।